137

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर

1– गुरूमेज सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह
2– मंजीत कौर पत्नी गुरूमेज सिंह
निवासीगण–मायापुर तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार तहसील श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र न्यायालीयन आदेश का अमल मौजा पटवारी द्वारा खसरे से हटाने के कारण पुनः अमल खसरे में कराने बावत् आवेदन दिनांक 02.02.2010 से व्यथित होकर मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 सहपठित धारा 8 के अधीन पुनरीक्षण।

।।।।। महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, आवेदकगण के हित में नायब तहसीलदार तहसील श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.1996 पारित किया है, किन्तु उक्त आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल नहीं किया जा रहा है अतः ऐसी कार्यवाही विधिवत् नहीं है।

2– यहकि, ग्राम मायापुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 5 रकवा 4.5 बीघा सर्वे क्रमांक 6/2 रकवा 10 बीघा सर्वे क्रमांक 96/7 रकवा 10 बीघा का भूदान पट्टा रतन पुत्र अषाढया महिला मुली देवी महावीर भावचन्द भगवान दास पुत्रगण रामसुखा, रामसियां द्रोपदी गीता पुरी रामसुख बडी बेवा रामसुखा को दिये गये थे। किन्तु भूमि पर उनका कोई कब्जा नहीं है केवल मात्र कागजात में भूमि स्वामी अंकित है जबकि वास्तविक कब्जा विष्णु गुरूमेज सिंह का है इस आशय का प्रतिवेदन नायब तहसीलदार श्योपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर को प्रेषित किया जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/94–95/अ–86 में कार्यवाही कर आदेश दिनांक 22.01.1996 को जारी किये गये भूदान पट्टा निरस्त कर दिया एवं भूमि शासन में वेष्ठित किये जाने का आदेश पारित किया किन्तु उक्त आदेश का आज दिनांक तक पालन नहीं किया गया ऐसी स्थिति में आदेश का पालन किया जाना आवश्यक है।

2– यहकि, आवेदकगण के हित में नायब तहसीलदार तहसील श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/95–96/अ–86 में ग्राम मायापुर की भूमि सर्वे क्रमांक 5, 6/2, 2/3,

म(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ..............

प्रकरण कमांक 2768–एक/2016 निगरानी जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभा''कों आ के हस्ताक्षर
17–8–16	यह निगरानी पटवारी व्दारा खसरे से पट्टाग्रहीताओं का नाम न हटाने वावत् दिये गये आवेदन दिनांक 2–2–2010 का निगरानी मेमो में अंकित करते हुये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये। उन्होंने बताया कि ग्राम मायापुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 5 रकबा 4.5 वीघा, 6/2 रकबा 10 वीघा सर्वे क्रमांक 96/7 रकबा 10 वीघा भूदान पट्टे की भूमि थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने प्र0क0 32/1994–95 अ–86 में पारित आदेश दिनांक 22–1–96 से भूदान पट्टा निरस्त कर दिया था एंव भूमि म0प्र0शासन में वेष्ठित करने के आदेश दिये गये थे किन्तु इस आदेश का पालन आज तक नहीं हुआ है। भूदान भूमि पर आज भी पट्टेदारान का नाम लिखा हुआ है जबकि आवेदकगण का उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा है । 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो में लिखे गये तथ्यों पर ध्यान देने से परिलक्षित है कि यदि तहसीलदार श्योपुर व्दारा प्र0क0	

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 2768–एक/2016 निगरानी जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभा''ाकों के हस्ताक्षर
	16/95–96 अ 86 में आदेश दिनांक 26–6–96 से पटटा जारी हुआ है तब अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर व्दारा प्र0क0 32/1994–95 अ–86 में पारित आदेश दिनांक 22–1–96 से पटटा निरस्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है अतएव निगरानी मेमो में पद 2 एंव आगे में पद 2 में दिया गया प्रकरणों का अंकन व आदेश दिनॉक सही नहीं है , जिसके कारण पटवारी की कार्यवाही के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी प्रचलनयोग्य एंव ग्राह्ययोग्य नहीं है। 4/ जहॉ तक तहसीलदार को दिये गये आवेदन की छायाप्रति प्रस्तुत कर आवेदक की मॉग का प्रश्न है – तहसीलदार तत्सम्बन्ध में संहिता की धारा 115,116 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु सक्षम हैं । अतएव निगरानी आवेदन भ्रमपूर्ण होने से एंव पटवारी की कार्यवाही के विरूद्ध प्रस्तुत होने से ग्राह्य योग्य नहीं है। इस आदेश की एक प्रति तहसीलदार श्योपुर को विचार हेतु भेजी जावे। सदस्य	